"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2013— भाद्र 14, शक 1935

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-05/दो-गृह/न. से./2013 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में ,-
अनुसूची-एक, दो एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय सेवा)	9300-34800	4300	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	सहायक अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4200	
3.	सीनियर ऑडिटर	01	(लिपिकीय	9300-34800	4200	
4.	मुख्य लिपिक	11	सेवा)	5200-20200	2800	
5.	सहायक ग्रेड-2	52	-तदैव-	5200-20200	2400	
6.	सहायक ग्रेड-3	51	-तदैव-	5200-20200	1900	
7.	शीघ्रलेखक (ग्रेड-एक)	01	-तदैव-	9300-34800	4400	
8.	शीघ्रलेखक (ग्रेड-दो)	01	-तदैव-	9300-34800	4300	
9.	शीघ्रलेखक (ग्रेड-तीन)	06	-तदैव-	5200-20200	2800	
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	06	-तदैव-	5200-20200	2200	

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

भर्ती की प्रक्रिया

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा [देखिए नियम 6 (क)]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिए नियम 6 (ख)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [देखिए नियम 6 (ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा					
1.		अधीक्षक	01	-	100%	-	
2.		सहायक अधीक्षक	01	-	100%	-	
3.		सीनियर ऑडिटर	01	-	100%	-	
4.		मुख्य लिपिक	11	-	100%	-	
5.		सहायक ग्रेड-2	52	-	100%	-	
6.		सहायक ग्रेड-3	51	75%	25%	-	सहायक ग्रेड-3 के 25% पदों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा भरे जायेंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.		शीघ्रलेखक (ग्रेड-एक)	01	-	100%	-	
8.		शीघ्रलेखक (ग्रेड-दो)	01	-	100%	-	
9.		शीघ्रलेखक (ग्रेड-तीन)	06	-	100%	-	
10.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	06	-	100%	-	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये पात्र होने हेतु निम्न पद पर कार्यानुभव की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गृह (पुलिस) विभाग	सहायक अधीक्षक/ सीनियर ऑडिटर	अधीक्षक	5 वर्ष	1. अतिरिक्त प्रधान सेनानी - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (स्थापना) -सदस्य 3. लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 4. कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (स्थापना) - सदस्य सचिव.	
2.		मुख्य लिपिक	सहायक अधीक्षक/ सीनियर ऑडिटर.	5 वर्ष	-तदैव-	
3.		शीघ्रलेखक (ग्रेड-दो)	शीघ्रलेखक (ग्रेड-एक)	8 वर्ष	-तदैव-	
4.		शीघ्रलेखक (ग्रेड-तीन)	शीघ्रलेखक (ग्रेड-दो)	5 वर्ष	-तदैव-	
5.		सहायक ग्रेड-दो	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	1. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (स्थापना) -अध्यक्ष 2. संभागीय सेनानी -सदस्य 2. लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 4. कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (स्थापना) - सदस्य सचिव.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.		सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	-तदैव-	
7.		चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) (हायर सेकेण्डरी 10+2 उत्तीर्ण)	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	-तदैव-."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 13-05/दो-गृह/न. से./2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-05/दो-गृह/न. से./2013 दिनांक 05-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th September 2013

NOTIFICATION

No. F 13-05/Two-Home/H. G./2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Home Guards Class-III (Ministerial) Service Recruitment and Promotion Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules ,-

For Schedule-I, II, and IV, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE - I
(See Rule 5)

S. No. (1)	Name of the Post included in the service (2)	Number of Post (3)	Chassification (4)	Pay Scale (5)	Grade Pay (6)	Remarks (7)
1.	Superintendent	01	Class-III (Clerical Services)	9300-34800	4300	
2.	Assistant Superintendent	01	---do---	9300-34800	4200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Senior Auditor	01	---do---	9300-34800	4200	
4.	Head Clerk	11	---do---	5200-20200	2800	
5.	Assistant Grade-II	52	---do---	5200-20200	2400	
6.	Assistant Grade-III	51	---do---	5200-20200	1900	
7.	Stenographer Class-I	01	---do---	9300-34800	4400	
8.	Stenographer Class-II	01	---do---	9300-34800	4300	
9.	Stenographer Class-III	06	---do---	5200-20200	2800	
10.	Data Entry Operator	06	---do---	5200-20200	2200	

SCHEDULE - II

(See Rule 6)

Procedure of recruitment

S. No.	Name of the Department	Name of the Service	Total number of duty Posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remarks
				By direct Recruitment [See rule 6 (a)]	By promotion of members of the service [See rule 6 (b)]	By temporary transfer of persons from other services [See rule 6 (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Department of Home Affairs (Police)	Chhattisgarh Home Guards Class-III (Clerical) Service					
1.		Superintendent	01	-	100%	-	
2.		Assistant Superintendent.	01	-	100%	-	
3.		Senior Auditor	01	-	100%	-	
4.		Head Clerk	11	-	100%	-	
5.		Assistant Grade-II	52	-	100%	-	
6.		Assistant Grade-III	51	75%	25%	-	25% Posts of Assistant Grade-III shall be filled by Class-IV employees.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.		Stenographer Class-I	01	-	100%	-	
8.		Stenographer Class-II	01	-	100%	-	
9.		Stenographer Class-III	06	-	100%	-	
10.		Data Entry Operator	06	-	100%	-	

SCHEDULE - IV
(See Rule 14)

S. No.	Name of the Department	Name of that Service or Post from which Promotions is to be made	Name of that Service or Post to which Promotions is to be made	Period of experience of work on the lower post for being eligible for promotion	Name of the member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Department of Home Affiairs (Police)	Assistant Superintendent/ Senior Auditor	Superintendent	5 years	1. Additional Commandant General - Chairman 2. Senior Staff Officer (Establishment)- Member. 3. Account-cum-Administrative Officer Member. 4. Junior Staff Officer (Establishment)- Member Secretary.	
2.		Head Clerk	Assistant Superintendent/ Senior Auditor	5 years	-do-	
3.		Stenographer (Class-II)	Stenographer (Class-I)	8 years	-do-	
4.		Stenographer (Class-III)	Stenographer (Class-II)	5 years	-do-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.		Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	1. Senior Staff Officer (Establishment)-Chairman. 2. Divisional Commandant-Member. 3. Account-cum-Administrative Officer Member. 4. Junior Staff Officer (Establishment)-Member Secretary.	
6.		Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	-do-	
7.		Class-IV (Peon) (Passed Higher Secondary 10+2)	Assistant Grade-III	5 years	-do-."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.